दिनाक 27.12.2020
प्रेस विज्ञप्ति–27/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़/बाबूगढ</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 04 अपराधी गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस**
- **06 आरसी व 08 नम्बर प्लेट (विभिन्न गाड़ियों के)**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 26.12.2020 को थाना बाबूगढ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बछलौता नहर पुलस से बनखण्डा से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाइगर को घायल अवस्था में अन्य अभियुक्त 2–आनन्द 3–जितेन्द्र 4–पवन सहित गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस, 06 आरसी व 08 नम्बर प्लेट (विभिन्न गाड़ियों के) व 01 चार पहिया वाहन बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाइगर गौतमबुद्वनगर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बाबूगढ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–देवराज उर्फ अनुज उर्फ टाइगर नि0 भंगेल थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्वनगर।

2–आनन्द नि0 टाउनशिप चौराहे के पास, सैनिक कालोनी थाना हाइवे मथुरा।

3–जितेन्द्र नि0बिनूपुर जरलिया थाना लौधा जिला अलीगढ़।

4–पवन नि0 गली नं02 संजय नगर थाना सारंग जिला फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी

1–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस।

2–06 आरसी व 08 नम्बर प्लेट (विभिन्न गाड़ियों के)।

3–01 चार पहिया वाहन।

जनपद मेरठ/थाना रोहटा

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 27.12.2020 को थाना रोहटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रोहटा क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी शोभित उर्फ दीपक को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कोतवाली जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 601/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना रोहटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोभित उर्फ दीपक निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2—चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना किशनी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 बने/अधबने अवैध तंमचे विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद**

दिनांक 27.12.2020 को थाना किशनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमलनेर सोबनपुर मार्ग के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते शातिर अभियुक्त पूरन को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 14 बने/अधबने अवैध तंमचे विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना किशनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पूरन निवासी ग्राम कमलनेर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1— 14 बने/अधबने अवैध तंमचे विभिन्न बोर।

2—02 जीवित कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे।

जनपद आगरा/थाना छत्ता

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 1,59,820 रू0 नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित कारतूस व 01 कटर आदिबरामद**

दिनांक 26.12.2020 को थाना छत्ता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाथीघाट यमुना किनारा पाईप लाइन के पास से तीन अभियुक्तों 1—बसन्त उर्फ बसन्ता 2—अभिषेक 3—देवेन्द्र उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 1,59,820 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित कारतूस व 01 कटर ाआदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.12.2020 को थाना छत्ता क्षेत्रान्तर्गत एजेन्सी में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना छत्ता पर मु0अ0सं0 241/2020 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना छत्ता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बसन्त उर्फ बसन्ता नि0 ग्राम इटौरा थाना मलपुरा जनपद आगरा।

2—अभिषेक निवासी जैथरा थाना जैथरा जनपद एटा।

3—देवेन्द्र उर्फ भूरा निवासी हनुमान नगर थाना एत्माददौला आगरा।

बरामदगी

1— चोरी के 1,59,820 रू0 नगद।

2—01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित कारतूस व 01 कटर आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 26 मोबाइल फोन, जले लैपटाप, हार्ड डिस्क**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 27.12.2020 को थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायपुर गजनेर मोड़ से दो शातिर अभियुक्तों 1—रामसजीवन उर्फ पिट्टर 2—कमल किशोर उर्फ सिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 26 मोबाइल फोन, जले लैपटाप, हार्ड डिस्क व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18/19.12.2020 की रात्रि रनिया बाजार स्थित गुप्ता टेलीकाम की दुकान से अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 997/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामसजीवन उर्फ पिट्टर नि0 चकेरी मोड़ कच्ची मड़ईयन बस्ती केडीए रिलायंस टावर के सामने थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

2—कमल किशोर उर्फ सिन्टू नि0 उरईहार थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1— चोरी के 26 मोबाइल फोन, जले लैपटाप, हार्ड डिस्क।

2—01 मोटरसाइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- **पुलिस कार्यवाही में 10,000 रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26.12.2020 की सायं थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मुकन्दपुर झाल के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त बिन्दर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 272,273,420 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बिन्दर निवासी ग्राम हिम्मतपुर सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर/थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 होण्डा सिटी कार (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 27.12.2020 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिल्ड्रन एकेडमी के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस कार्यवाही के दौरान शातिर

अभियुक्त महताब को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

इस संबंध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महताब निवासी ग्राम बझैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2—चोरी की 01 होण्डा सिटी कार (बिना नम्बर) आदि।

एसटीएफःफरीदाबाद में दिनांक 23.12.2020 को प्रॉपर्टी डीलर मनोज भाटी की हत्या में हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर मनोज मांगरिया के 02 शार्प शूटर गिरफ्तार।

दिनांक 26.12.2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश की फील्ड इकाई मेरठ एवं क्राईम ब्रान्च—17 फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा थाना सेक्टर—31, फरीदाबाद हरियाणा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 458/2020 धारा 148, 149, 302, 120बी भादवि में वांछित चल रहे अपराधी आर्यन खान व धीरेन्द्र उर्फ अजय फौजी उर्फ भूरा जाट को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तो का विवरणः

1— आर्यन खान उर्फ बिट्टू पुत्र अलीम खान नि0 टीकड़ी खेडा, थाना सोनीपत, हरियाणा।

2— धीरेन्द्र उर्फ अजय फौजी उर्फ भूरा पुत्र देवेन्द्र जाट, नि0 ग्राम कादरीपुर, थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 26.12.2020, स्थानः राजपुर थाना जानसठ मुजफ्फरनगर समयः 19.16 बजे

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के जनपदों में वारदात कर कुख्यात अपराधियों की उ0प्र0 के जनपदों में शरण प्राप्त करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी । इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 26.12.2020 को विश्वस्त सूत्रों एवं फरीदाबाद हरियाणा की क्राईम ब्रांच टीम द्वारा सूचना साझा से ज्ञात हुआ कि कुख्यात गैंगस्टर मनोज मांगरिया के शार्प शूटर जिन्होंने दिनांक 23.12.2020 को कूडे के ठेके के लिये प्रॉपर्टी डीलर मनोज भाटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दिया था, थाना क्षेत्र जानसठ के एक ग्राम में छिपे हुये है। इस सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार व निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार, उपनिरीक्षक, श्री अरूण निगम, हे0कां0 रवि वत्स, हे0कां0 रकम सिंहं, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 प्रमोद कुमार, कान्स0 जोशी राणा, कान्स0 रोमिश तोमर, कान्स0 दीपक कुमार, कान्स0 विकास चौधरी, कान्स0 महेश शर्मा, कान्स0 अंकित श्यौरान, कान्स0 जानसन एंव कान्स अंकित शर्मा एस0टी0एफ0 मेरठ एंव क्राईम ब्रान्च से0—17 फरीदाबाद के निरीक्षक विमल राय की एक संयुक्त टीम का गठन कर रवाना किया गया। एसटीएफ टीम एवं फरीदाबाद हरियाणा की क्राईम ब्रान्च टीम द्वारा आपस में समन्व्य करते हुए सूचना को विकसित किया गया। मुखबिर द्वारा बताया कि अभियुक्त आर्यन खान उर्फ बिटटू व धीरेन्द्र उर्फ अजय फौजी उपरोक्त ग्राम राजपुर तिलोरा थाना जानसठ मे हरेन्द्र उर्फ हप्पू पुत्र रणबीर सिंहं के मकान में शरण लिये हुए हैं। इस पर एसटीएफ टीम व फरीदाबाद क्राईम ब्रान्च—17 की टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये मकान से वांछित अभियुक्त आर्यन खान एंव धीरेन्द्र उपरोक्त को घेराबन्दी कर पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ में बताया कि हम लोग फरीदाबाद, हरियाणा के गैंगस्टर व 02 लाख के ईनामी अपराधी मनोज मांगरिया के लिए कार्य करते हैं। इनके कहने पर ही हमने मनोज मांगरिया व अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 23.12.2020 को कुड़े के ठेके को लेकर प्रोपर्टी डीलर मनोज भाटी पर 10—12 राउण्ड गोलिया चलायी जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी थी। हत्या करने के बाद हम लोग हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आये गये थे। उक्त हत्या की घटना के संबंध में थाना सेक्टर 31 फरीदाबाद हरियाणा पर मु0अ0सं0 458/2020 धारा 148/149/302/120बी भादवि पंजीकृत हैं। उक्त मुकदमें से संबंधित फरीदाबाद क्रांईम ब्रान्च द्वारा अभि0 अशोक पाटिल पुत्र प्रेमी निवासी मागर जिला फरीदाबाद, विकास उर्फ बिक्की पुत्र कमल निवासी नंगला एन्कलेव फरीदाबाद, सोनू पुत्र बिजेन्द्र नि0 आर्य नगर दिल्ली को गिर0 किया जा चुका था। अभि0 धीरेन्द्र उर्फ अजय फौजी उर्फ भूरा ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2004 में भारतीय सेना में भर्ती होकर फस्ट पैरा कमाण्डो हिमाचल प्रदेश में नियुक्त था। वर्ष 2016 में बारमूला में नियुक्ति के दौरान हुई हत्या के केस में सजा होने के उपरान्त सेण्ट्रल जेल अम्बाला में बन्द था। यही पर मेरी मुलाकात मनोज मांगरिया से हुई थी। वर्ष 2020 में कोविड—19 के दृष्टिगत पैरोल पर था। आज हम धीरेन्द्र के साले के मामा के घर पर मौजूद थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सेक्टर—31 फरीदाबाद, हरियाणा पर मु0अ0सं0 458/2020 धारा 148/149/302/120बी भादवि पंजीकृत हैं। क्राईम ब्रान्च से0—17 फरीदाबाद द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तो को 10—10 वर्ष के कारावास व 10—10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय सुलतानपुर द्वारा थाना गौरीगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304/323/34 भादवि में अभियुक्तों 1—असलम खॉ 2—उमर हयात 3—फजल 4—मो0 रउफ को 10—10 वर्ष के कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।